



// कार्यालय ज्ञाप //

संज्ञान में आया है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1975 / पत्रा0सं0-1467 / DSMNRU / शुल्क निर्धारण / 2020-21, दिनांक: 16 जनवरी, 2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के अध्ययनरत् कतिपय विद्यार्थियों द्वारा अब तक शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु पाठ्यक्रम शुल्क जमा नहीं किया गया है, जबकि विद्यार्थियों को कक्षाओं में प्रोन्नत करते हुए लाभान्वित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में सम्बन्धित कुछ विभागों द्वारा मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी करायी जा चुकी है जबकि कुछ विभागों द्वारा उक्त परीक्षाओं को कराया जाना शेष है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसे विद्यार्थियों को, जिन्होंने अब तक पाठ्यक्रम सम्बन्धी शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन विद्यार्थियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 02 मार्च, 2021 (मंगलवार) तक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा रु० 500/- एवं अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा धनराशि रु० 300/- विलम्ब शुल्क के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् शुल्क सम्बन्धी किसी भी प्रकार का प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं होगा तथा उपरोक्तानुसार निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क न जमा किये जाने की स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक-2481 / पत्रा0सं0-1467 / DSMNRU / शुल्क निर्धारण / 2020-21
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 27 फरवरी, 2021

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. समस्त संकायो / विभागों में सम्बद्ध पटल सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सेमेस्टरवार शुल्क प्राप्ति का विवरण तैयार करते हुए उसकी एक-एक प्रति लेखानुभाग / परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अग्रसारण के क्रम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-मोहान रोड को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु जमा किये जाने वाले फीस चालान को विभागीय कार्यालय की पुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित खाता संख्या में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।
9. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

(बिन्दू त्रिपाठी)
सहायक कुलसचिव